To,

The Registrar(General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No. 447/G/OA-258/विरेन्द्र कुमार त्यागी/शिकायत/2023 Date 26.07.2023

Subject : **Factual Report in compliance of order dated 28-04-2023 passed by NGT on OA No 258/2023 titled by Virender Kumar Tyagi Versus State of Uttar Pradesh.**

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following direction-

"*.........3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Meerut who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

4. District Magistrate, Meerut will be nodal agency for coordination and compliance.

5. List this matter for further consideration on 27.07.2023......."

The constituted committee visited alleged site on dated 19-07-2023 and the factual report is attached herewith for kind perusal.

With regards,

Enclosure: Factual Report.

Your's faithfully,

(Deepak Meena)
District Magistrate,
Meerut

Report regarding Order dated 28-04-2023 passed by Hon'ble NGT in OA No. 258/2023.

Pursuant to the direction given by Hon'ble NGT order dated 28-04-2023 in OA No. 258/2023. The main relevant contents of the order are as under :-

> "………2. *Complaint is that M/s Indus Valley are promoters of a residential colony i.e. Sheelkunj at Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut. Colony is already in occupation of large number of people and total population in the nearby area is about 15-20 thousand. Sewage generated in the said colony is not being discharged properly in as much as a small part of sewage is discharged in sewer line connected with sewage treatment plant of Pallavpuram maintained by Meerut Development Authority. Substantial quantity of untreated sewage is being discharged without any treatment through a pipeline in a drain which is causing huge pollution and in violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. 2*
>
> *3. In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Meerut who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual as well as action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
>
> *4. District Magistrate, Meerut will be nodal agency for coordination and compliance.*
>
> *5. List this matter for further consideration on 27.07.2023.. ….* "

In compliance of the above order, the following officials from the offices of District Magistrate, Meerut & U.P. Pollution Control Board, Meerut inspected the place mentioned in the order on dated 19-07-2023.

1. Brijesh Kumar Singh - ADM (City), Meerut
2. Yogesh Kumar Mishra - AEE, UP Pollution Control Board, Meerut

The Joint committee inspected the questioned site on dated 19-07-2023. The observations and recommendation are as below:-

1. Sheelkunj colony is almost developed. It is developed by M/s Indus Valley Promotors Pvt. in Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut adjoining to Pallavpuram Phase-1, developed by Meerut Development Authority.
2. Developer/Promoters has not installed its own STP for treatment of sewage of Sheelkunj colony at Village Mukkarabpur, Palhera, District Meerut.
3. In joint inspection it was found that small part of sewage of Sheelkunj colony is discharging in sewer line connected with sewage treatment plant of Pallav puram maintained by MDA and substantial quantity of untreated sewage is being discharged without any treatment through a pipeline connected to outlet pipeline of sewage treatment plant.
4. Map of the Sheelkunj colony was sanctioned by MDA in phased manner time to time. Area of the colony does not fall under the purview of the notification dated 14.09.2006 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF & CC).
5. The developer of Sheelkunj Colony ie. M/s Indus Valley Promotors Pvt. Ltd has obtained Consent to Establish (CTE) from U.P. Pollution Control Board vide letter dated 27.06.2012 for development of plots in area 6556 Sq. Meters and further vide letter dated 31.10.2012 for development of plots in area 55186 Sq. Meters. **(Annexure- 1)**

6. Meerut Development Authority has issued permission vide letter dated 20.10.2012 for 0.5 MLD sewage treatment through 07 MLD STP at Pallavpuram, Phase-1. **(Annexure- 2)**
7. That the part of sewage generated from the Sheelkunj colony is flowing to Abu Drain-1, which ultimately meets to Kali River. It is noteworthing that Municipal Corporation of Meerut is cleaning this Nala through bioremediation and phytoremediation presently by involving third party agency.
8. As per information received from MDA 07 MLD Pallavpuram, Phase-1 STP is under utilized with gap of 0.7 MLD. **(Annexure- 3)**
9. That MDA has approved map of the questioned colony and has assured treatment of sewage generated. MDA has informed vide letter dated 22.07.2023 that they were in process of laying remaining sewer line and connecting to the functional 07 MLD STP of Pallavpuram, Phase-1. MDA has also informed that above process was stopped due to protest of Pallavpuram Residents Welfare Associations (Applicant). Further Re-Estimate Preparation for the sewer line is in process. **(Annexure- 4)**

The above factual report is being submitted for kind perusal please.

Brijesh Kumar Singh, ADM(City), Meerut	अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ
Arun Sharma, Executive Engineer, Meerut Development Authority, Meerut	for
Yogesh Kumar Mishra, A.E.E. U.P. Pollution Control Board, Meerut	

क्षेत्रीय कार्यालय
✆ 0121-2571676

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

पाकेट TC-3/2, पल्लवपुरम, फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ - 250 110

संदर्भ संख्या 490 /एनओसी-10/12 दिनांक 27.06.2012

वैधता अवधि: जारी होने की तिथि से दो वर्ष मात्र ।

सेवा मे

मैं ....

इंडस वैली प्रोमोटर्स लि० शील कुंज कालोनी,

रुड़की रोड,

मेरठ ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की ~~दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण~~ आवासीय कालोनी के प्रस्ताव हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.5.12 का संदर्भ लें । आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत की जाती है।

1– **अनापति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा हे:–**

(क) स्थल : खसरा नं0: 487–पी, 490–पी, 617–पी, ग्रा0–मुर्करबपुर, पल्हेड़ा, रुड़की रोड, मेरठ ।

(ख) उत्पादन: आवासीय कालोनी में भूखण्डों का विकास 16556 वर्गमीटर।

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईंट, सीमेन्ट, सरिया बालू आदि आवश्यकतानुसार ।

(घ) प्रयुक्त ईंधन: डी0जी0सैट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार ।

(ड) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा 10.0 कि0ली0/दिन ।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

2– **उद्योग में समी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पटि्टका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह को दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।**

3– **उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक की बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें । जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय मे अवश्य ही जमा कर दिया जाए । यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है ।**

4— उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5— घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 10.0 कि0ली0/दिन से अधिक नही होगी, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6— प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....तक अवश्य प्रस्तुत की जायें।

7. कालोनी से जनित उत्प्रवाह को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित/संचालित एस0टी0पी0 में बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्ध करने के उपरांत ही निस्तारित किया जाये। इस संबंध में मेरठ विकास प्राधिकरण के पत्रांक 771/मु0अभि0-कार्या0/2012-13, दिनांक 08.05.12 का अनुपालन किया जाये।

8. कालोनी में वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।

9. कालोनी परिसर के चारो ओर पर्याप्त चौड़ाई की सघन एंव छायादार हरित पट्टिका विकसित की जाये।

10. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल 6556 वर्गमीटर क्षेत्रफल में हेतु के भूखण्डों के विकास हेतु मान्य है

11. कालोनी में स्थापित किये जा रहे 10 के0वी0ए0 के डी0जी0सैट पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एंव छत तल से 1.5 मी0ऊँचा एग्जास्ट स्थापित किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामन्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित हे कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शर्तो मे संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.8.12 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।

K. Bahadur.
क्षेत्रीय अधिकारी 27/06/12

पृ0 सं0

तददिनांक

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3) उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

K. Bahadur.
क्षेत्रीय अधिकारी
27/06/12

O/C
7/2

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 0121–2577676

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पॉकेट–TC-3/2 पल्लवपुरम फेज–2, मोदीपुरम, मेरठ–250110

संदर्भ संख्या 1089 /एनओसी–48/12 दिनांक 31.10.2012

सेवा में,

वैद्यता अवधि :– जारी करने की तिथि से दो वर्ष मात्र।

मैं

इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0, शील कुंज III

2, पी0एल0शर्मा रोड,

मेरठ ।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से ~~नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु~~ भूखंडों के विकास हेतु अनापति प्रमाणपत्र का निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.09.12 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृति की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है–

(क) स्थल : खसरा सं0: 612मि., 613मि., 624मि., 625, 626मि., 627मि., 633मि., 634, 635मि., 636मि., 637मि., 638मि., 639मि., 640मि., 644, ग्रा0–मुकरबपुर पल्हैडा (शीलकुंज-III, रुड़की रोड, मेरठ ।

(ख) उत्पादन : आवासीय कॉलोनी में भूखण्डों का विकास (कुल क्षेत्रफल–55556.0वर्गमी0)।

(ग) मुख्य कच्चे माल : ईंट, रोड़ी, सीमेन्ट, सरिया आदि आवश्यकतानुसार ।

(घ) प्रयुक्त ईधन : डी0जी0सैट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार ।

(ड़) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा शून्य ।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण, उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन को इकाई से उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियाजिन किया जाये।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 0.5 एम.एल.डी. से अधिक नहीं होगी, सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

7. प्रस्तावित कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह को एम.डी.ए. द्वारा विकसित पल्लवपुरम फेज-1 स्थित एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

8. प्रस्तावित कालोनी परिसर में वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जाये।

9. प्रस्तावित कालोनी परिसर में स्थापित किये जा रहे 25 के0वी0ए0 के डी0जी0सेट पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक एनक्लोजर एंव छत तल से 1.5 मी0 ऊँचा एग्जास्ट स्थापित कियाजा

10. प्रस्तावित कालोनी परिसर के चारो ओर सघन एंव छायादार वृक्षारोपण किया जाये।

11. म्युनिसिपल सालिड वेस्ट के एकत्रण/निस्तारण हेतु अधिनियमान्तर्गत वर्णितानुसार डिस्पोजल हेतु उचित प्रबन्ध किये जायें।

12. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 एंव समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम का पालन किया जा

13. एरिया डेवलपमेंट/कनस्ट्रक्शन/कच्चे माल के भण्डारण एंव हथालन करते समय वाटर स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाये।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सं0 7,8,10,11 संवेदनशील शर्ते हैं, का अनुपालन न किये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र आवासीय कालोनी में भूखण्डों के विकास कार्य हेतु ही मान्य है।

16. प्रस्तावित कालोनी विकसित करने के उपरांत बोर्ड से सहमति (जल/वायु) हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्धमें उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.6.2012 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दी जायेगी।

K Bahadur

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0

तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1- मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (सर्किल-3), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

K Bahadur

क्षेत्रीय अधिकारी

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : 415/यो0प्र0-1/12 दिनांक 20-10-,2012

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ

सेवा में,

मै0 इन्डस वैली प्रमोटर्स लि0,
शील कुंज,
रूड़की रोड, मेरठ ।

विषय :- **शील कुँज-।।। आवासीय कालोनी रूड़की रोड, मेरठ में सीवर डिस्पोजल हेतु डाली गई पाईप लाईन को पल्लवपुरम् स्थित एस0टी0पी0 से जोडे जाने पर के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.10.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि जल-मल जिसकी मात्रा 0.5 एम.एल.डी. होगी उसे पल्लवपुरम् फेज-1 स्थिति सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शुद्ध करके ही निकाला जायेगा ।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 20/10/12

मुख्य अभियन्ता,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं० 817/प्र०अधि०(वि०/यॉ०)/2023-24 दिनांक: 12/7/23

सेवा मे

जिला गंगा समिति,
मेरठ।

विषय– नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) के सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ के कार्यालय पत्र सख्या 96/29-5 दिनांक 07 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) एवं अन्य संयत्रों के माध्यम से किये जा रहे कार्यो का पूर्ण विवरण प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय को मूल प्रति मे और ईमेल–namamigange.meerut@gmail.com पर संलग्नक प्रारूप में भरकर जिला गंगा समिति मेरठ को दिनांक 17.07.2023 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के कम में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी) की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–1 सदस्य सचिव/प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को उनके पत्र संख्या 96/29-5 दिनांक 07 जुलाई, 2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

DISTRICT GANGA COMMITTEE , MEERUT (UP)

Name of Department - Meerut Development Authority, Meerut		Authority Name & Mob No.-NEERAJ KUMAR P.A (E/M) 8009059370			
Report Month - July - 2023		Email Id.-mdameerut@rediffmail.com			
1	Sewerage Treatment Infrastructure Development				
1.1	Tapping of Nalla's				
	Nalla's Name	Tapping Done		If No - Covered under Bioremediation	
a)	N/A	Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
b)		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
c)		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
d)		Yes/No	(N/A)	Yes/No	(N/A)
1.2	Are all STPs in the district operational (In MDA Colony's only)	Yes/No	(Yes)		

	Sewerage Treatment Plants (STPs) - Functional				
	Name of STP	Capacity of STP (MLD)	Current Utilisation of STP Capacity (MLD)	Meeting Design Standard (Yes/No)	Data Captured in Ganga Monitoring Center (Yes/No)
a)	3 MLD STP Pandav Nagar, Meerut.	3 MLD	2.5	Yes	No
b)	6 MLD STP Shradhrapuri Phase-1, Meerut.	6 MLD	4.0	Yes	No
c)	7 MLD STP Sports Good, Meerut.	7 MLD	4.4	Yes	No
d)	6 MLD STP Rakshapuram, Meerut.	6 MLD	4.7	Yes	No
e)	6 MLD STP Shardhapuri Phase-2 Meerut.	6 MLD	5.5	Yes	No
f)	6 MLD STP Sainik Vihar, Meerut.	6 MLD	5.4	Yes	No
g)	7 MLD STP Pallavpuram Phase-1, Meerut.	7 MLD	6.3	Yes	No
h)	5 MLD STP Modipuram Tiraha, Meerut.	5 MLD	5.0	Yes	No
i)	11 MLD STP Pallavpuram Phase-2, Meerut.	11 MLD	5.8	Yes	No
j)	10 MLD STP Lohia Nagar, Meerut.	10 MLD	1.9	Yes	No
k)	15 MLD STP Shatabdi Nagar, Meerut.	15 MLD	4.6	Yes	No
l)	15 MLD STP Ved Veyas Puri, Meerut.	15 MLD	4.1	Yes	No
m)	10 MLD STP Ganga Nagar, Meerut.	10 MLD	5.8	Yes	No

JE
(राकेश महलवाल)
उदर अभियन्ता (वि०/यां०)

AE
अन्जय कुमार सिंह
सहा० अभि० (वि०/यां०)
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

11/07/23
प्रभारी अधिकारी (वि०/यां०)
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 12 /ई0ई0/2023–24 दिनांक : 25.03.23

सेवा में,

प्रबन्धक,
क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड,
पल्लवपुरम मेरठ।

विषयः– **राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित अपील सं0–20 कोर्ट न0–02 के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक दिनांक 19.07.2023 को आपके विभाग व जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति (अपर जिलाधिकारी नगर) के द्वारा संयुक्त रूप से शीलकुंज कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शीलकुंज कॉलोनी के सीवर निस्तारण हेतु पूर्व में एक सीवर लाईन शीलकुंज कॉलोनी से प्राधिकरण के पल्लवपुरम योजना फेस–प्रथम स्थित एस0टी0पी0 तक डाली गयी थी। जिससे उक्त कॉलोनी का सीवर एस0टी0पी0 तक जा रहा है। जिसको योजना के तलपट मानचित्र पर दर्शित कर दिया गया है।

अतः शीलकुंज के अवशेष सीवर के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 17.08.2020 को स्वीकृत किया गया था। जिसके पश्चात स्थल पर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। परन्तु पल्लवपुरम रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा कार्य का लगातार विरोध किया गया। जिसके फलस्वरूप कार्य अनुबन्ध को यथास्थिति समाप्त कर दिया गया पूर्व अनुबन्ध के सापेक्ष वर्तमान में दरो में बढोत्तरी हो जाने के कारण पुनः आगणन तैयार कराये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

संलग्नकः– 1. पल्लवपुरम योजना फेस–प्रथम का तलपट मानचित्र।
2. पल्लवपुरम योजना फेस–द्वितीय का तलपट मानचित्र ।

भवदीय

25/07/23

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

REVISED LAYOUT PLAN OF PULLAV PURAM PHASE-1 RESIDENTIAL SCHEME ON ROORKEE ROAD MEERUT

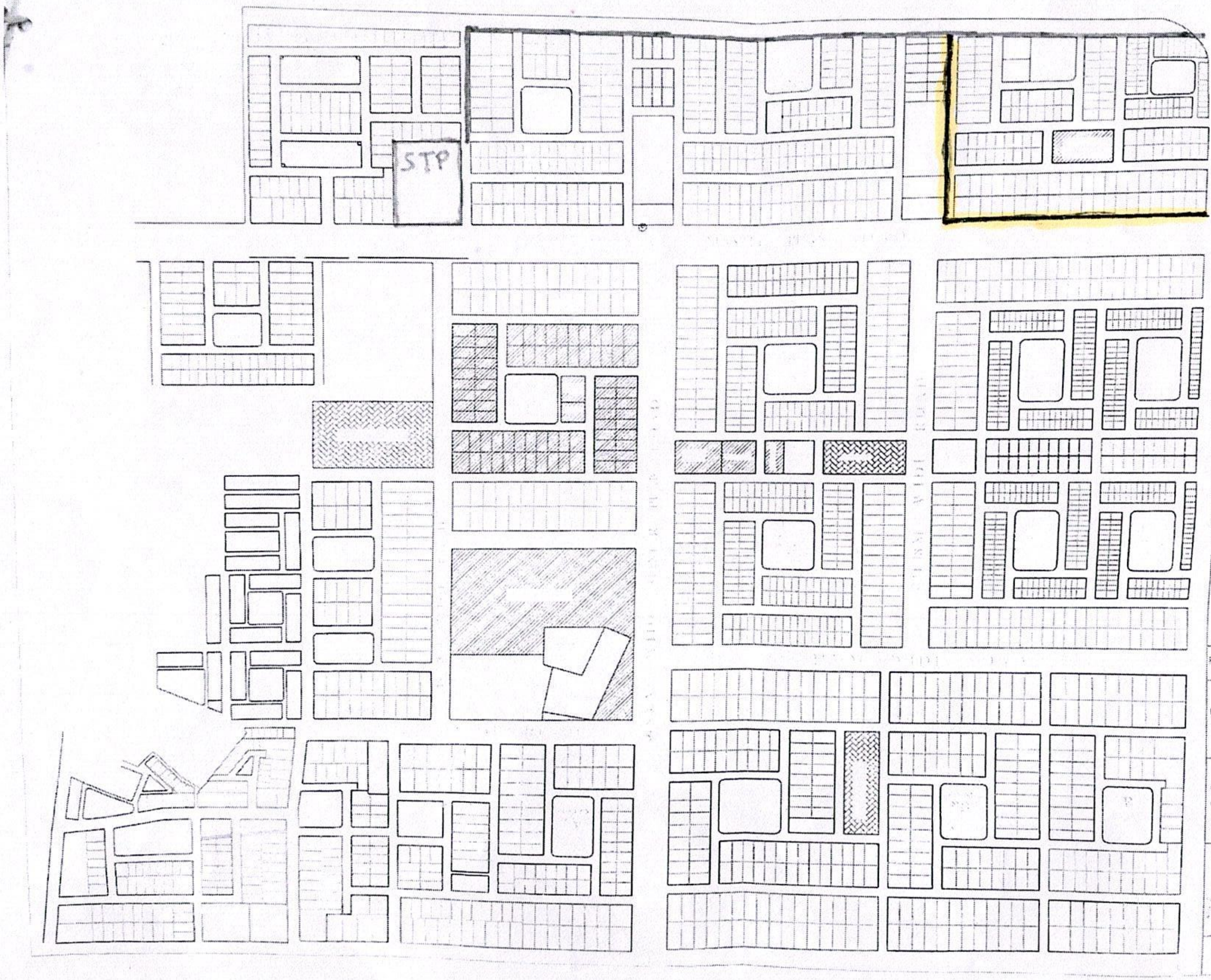

AREA STATEMENT - PHASE I&II

TOTAL AREA UNDER SCHEME	[illegible]
PLOTS/HOUSES	[illegible]
SHELTERLESS	[illegible]
COMMERCIAL	27.927
EDUCATIONAL	[illegible]
INSTITUTIONAL	[illegible]
PARKS & OPEN SPACES	[illegible]
HEALTH FACILITIES	[illegible]
ROADS	[illegible]

EXISTING SEWER LINE

PROPOSED SEWER LINE

NOTES :

MILK BOOTH SHOWN AS

REVISION

DRG. NO | SCALE 1:1200 | DATE :

DRG. BY

VIJAY KUMAR
ASST ARCHITECT